रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2015/भाद्र 13, 1937
No. 543] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2015/BHADRA 13, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2015

सं. 46/2015-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 675(अ).—अभिहीत प्राधिकारी ने, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं.15/29/2013-डीजीएडी दिनांक 31 दिसम्बर, 2013, के अंतर्गत कोरिया आर पी में मूलत: उद्गमित या वहां से निर्यातित अध्याय 40 के अंतर्गत "एक्रीलोनिट्राइल बूटाडीन रबर (एनबीआर)" आयात के मामले में अधिसूचना सं0 01/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 2 जनवरी, 2009, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 5 (अ) दिनांक 2 जनवरी, 2009 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के संबंध में, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम , 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी और उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के तहत, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क समाप्त होने की तारीख से एक वर्ष और बढ़ाने की सिफारिश की थी;

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र के असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 23 जनवरी, 2014 को सा.का.नि. सं. 48 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 जनवरी, 2014 की अधिसूचना सं. 6/2014- सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा, 01 जनवरी, 2015 तक कोरिया आर पी में एनबीआर मूलरूप से उत्पादित अथवा निर्यात की गई विषयगत वस्तु पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क को बनाए रखा था।

और जबकि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में पद नामित पदाधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड-1 में दिनांक 30 जून, 2015 को प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष सं. 15/29/2013-डीजीएडी दिनांक 30 जून, 2015 के अंतर्गत इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

(i) कोरिया जनवादी गणराज्य से संबंधित उत्पाद का सतत पाटन हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को हानि हुई है;

(ii) मूल्य में कटौती और कम मूल्य में बिक्री दोनों सकारात्मक है;

(iii) घरेलू उद्योग का वित्तीय कार्य निष्पादन और अधिक खराब हो गया है । जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने आर्थिक मानदंडों जैसे उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता का उपयोग, बाजार हिस्सा, लाभ प्रदता, नियोजितपूंजी पर आय के संबंध में नकारात्मक वृद्धि दर्शाई है । पाटित आयात से घरेलू उद्योग को हानि होना जारी है ।

(iv) यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को वापस ले लिया जाता है तब विचाराधीन उत्पाद का पाटन संबद्ध देश से और अधिक होने की संभावना है ।

और यह सिफारिश की है कि कोरिया आर पी में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के लिए प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जारी रखा जाए;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर अद्योलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देश में उद्गमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए ऐसे मामलों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित मुद्रा और उक्त सरणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रतिमापन इकाई में व्यक्त उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में इंगित संदर्भ राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात को देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	4002	एक्रीलोनिट्राइल बूटाडीन रबड (एनबीआर)	कोई	कोरिया आर पी	कोरिया आर पी	मैसर्स कुम्हो पेट्रोकैमिकल्स कं लि.	मैसर्स कुम्हो पेट्रोकैमिकल्स कं. लि.	57	मी. टन.	अमरीकी डालर
2	4002	एक्रीलोनिट्राइल बूटाडीन रबड (एनबीआर)	कोई	कोरिया आर पी	कोरिया आर पी	मैसर्स एल जी कैमिकल्स लि. (एल जी)	मैसर्स एल जी कैमिकल्स लि. (एल जी)	61	मी. टन.	अमरीकी डालर
3	4002	एक्रीलोनिट्राइल बूटाडीन रबड (एनबीआर)	कोई	कोरिया आर पी	कोरिया आर पी के अलावा अन्य कोई देश	उपर्युक्त क्र. सं. 1 और 2 में दर्शाये गये उत्पादक-निर्यातक के युग्म को छोड़कर अन्य कोई भी उत्पादक देश		85	मी. टन.	अमरीकी डालर
4	4002	एक्रीलोनिट्राइल बूटाडीन रबड (एनबीआर)	कोई	कोरिया आर पी	कोरिया आर पी	कोई	कोई	85	मी. टन.	अमरीकी डालर
5	4002	एक्रीलोनिट्राइल बूटाडीन रबड (एनबीआर)	कोई	कोरिया आर पी के अलावा अन्य कोई देश	कोरिया आर पी	कोई	कोई	85	मी. टन.	अमरीकी डालर

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू "विनिमय दर" वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/179/2002-टीआरयू (भाग-V)]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4thSeptember, 2015

No. 46/2015-Customs (ADD)

G.S.R. 675(E).–Whereas, the designated authority, vide notification No. 15/29/2013-DGAD, dated the 31st December, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 dated the 31st December, 2013, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on acrylonitrile butadiene rubber (hereinafter referred to as NBR) falling under Chapter 40 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, Korea RP, imposed vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2009-Customs, dated the 2nd January, 2009, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 5(E), dated the 2nd January, 2009, and had requested for extension of anti-dumping duty for an additional period of one year from the date of its expiry, in terms of sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, pending the completion of the review;

And whereas the Central Government had extended the anti-dumping duty imposed on NBR originating in, or exported from, Korea RP vide notification No. 06/2014-Customs (ADD), dated the 23rd January, 2014, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 48(E), dated the 23rd January, 2014 upto and inclusive of 1st January, 2015;

And whereas the designated authority vide notification No. 15/29/2013-DGAD, dated the 30th June, 2015, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 30th June 2015 has concluded that –

a) there is continued dumping of the product concerned from Korea RP, causing injury to the domestic industry;

b) both price undercutting and underselling are positive;

c) the financial performance of the Domestic Industry has deteriorated; during the period of investigation, the domestic industry has shown negative growth in terms of the economic parameters such as production, domestic sales, capacity utilization, market share, profit, profitability, return on capital employed; the dumped imports continue to cause injury to the domestic industry;

d) dumping of the product under consideration is likely to intensify from the subject country should the current anti-dumping duty be withdrawn;

and has recommended continuation of anti-dumping duty on imports of NBR originating in, or exported from, Korea RP;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government after considering the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the goods the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under heading of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), the specification of which is specified in the corresponding entry in column (4), originating in the country specified in the corresponding entry in column (5), exported from the country specified in the corresponding entry in column (6), produced by the producer specified in the corresponding entry in column (7), exported by the exporter specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount indicated in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Heading	Description of goods	Speci-fication	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	4002	Acrylo nitrile Butadiene Rubber (NBR)	Any	Korea RP	Korea RP	M/s. Kumho Petrochemicals Co. Ltd.	M/s. Kumho Petrochemicals Co Ltd.	57	MT	US Dollar
2.	400	Acrylo nitrile Butadiene Rubber (NBR)	Any	Korea RP	Korea RP	M/s. LG Chemicals Ltd. (LG)	M/s. LG Chemicals Ltd. (LG)	61	MT	US Dollar
3.	4002	Acrylo nitrile Butadiene Rubber (NBR)	Any	Korea RP	Korea RP	Any other producer/exporter other than combination of producer-exporter indicated at Sr. Nos. 1&2 above		85	MT	US Dollar
4.	4002	Acrylo nitrile Butadiene Rubber (NBR)	Any	Korea RP	Any Country other than Korea RP	Any	Any	85	MT	US Dollar
5.	4002	Acrylo nitrile Butadiene Rubber (NBR)	Any	Any Country other than Korea RP	Korea RP	Any	Any	85	MT	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, amended or superseded earlier) from the date of publication of this notification in the Gazette of India and shall be paid in Indian currency.

Explanation.—For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the relevant date for determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/ 179/2002-TRU (Pt.-V)]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.